न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, मनसुख राम डामोर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2020 (वाद)
दायर दिनांक – 09/06/2020
निर्णय दिनांक – 08/09/2020

अनवान

1. भंवरलाल पिता मोडीराम जाति कुमावत निवासी बामनिया कंला तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पिता मांगु जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
2. डालू पिता मांगु जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
3. कैलाश पिता मांगु जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
4. गोपू पिता शंकर जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
5. नाना पिता शंकर जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
6. कजोड पिता कालू जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

: निर्णय :

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. ए. के तहत प्रस्तुत किया कि वादी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजी सख्या 1026 रकबा 00–10 बिघा ग्राम बामनिया कला तहसील रेलमगरा में स्थित है। वादी की आराजी के पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण की आराजी सख्यां 1028 रकबा 01–10 बिघा स्थित है । वादी एवं प्रतिवादीगण की आराजी के मध्य स्थाई सीमांकन चिन्ह स्थित नहीं थे जिससे वादी ने न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी महोदय रेलमगरा के न्यायालय में विधि सम्मत कार्यवाही कराकर स्थाई सीमांकन चिन्ह के रूप में पत्थरगढी कराई गई जो सीमांकन चिन्ह आज भी स्थित है। वादी को अपनी आराजी में विकास के लिये चारों तरफ नींव खोदकर दिवार बनाना चाहता है ताकि भूमि का विकास हो सके। वादग्रस्त भूमि का विकास करने का वादी को अधिकार प्राप्त है एवं उक्त विकास कार्य में बाधा हस्तक्षेप

सहायक कलक्टर

कारित करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण अनाधिकृत चेष्टा करते हुये वादी के दिवार निर्माण करने पर उसे ढहा देने, नुकसान कारित करने, मौके पर सार्वजनिक शांति भंग करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी के द्वारा दिवार निर्माण कर देने पर प्रतिवादीगण के खेत में उगाई जाने वाली फसल पर प्रकाश का विपरीत असर पडेगा। इसलिये हम दिवार निर्माण नहीं करने देंगे। जबकि सूर्य का प्रकाश आसमान से मिलता है एवं वादी को अपनी आराजी में विकास कार्य करने से रोकने का कोई अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं है। वादी को अपने विधि पूर्व भूमि के विकास करने का अधिकार प्राप्त हैं। फिर भी प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर जबरन निर्माण कार्य में बाधा, हस्तक्षेप कारित करने की धमकियां दिनांक 05/06/2020 को दी। जिस पर वादी ने कहां कि प्रतिवादीगण को इस प्रकार दीवार निर्माण में रूकावट करने का कोई अधिकार नहीं है। विधि विरूद्ध कोई कृत्य नहीं करे फिर भी उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण ने मानने से इन्कार कर दिया। वादी का वाद हेतुक दिनांक 05/06/2020 का बमुकाम बामनिया कंला उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है जब वादी ने प्रतिवादीगण को विधि विरूद्ध कृत्य न करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मानने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालु किस्म के व्यक्ति है एवं वादी न्याय में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है । जिससे वादी अपनी भूमि पर कराये जाने वाले दिवार के रूप में विकास कार्य में किसी भी प्रकार की प्रतिवादीगण बाधा हस्तक्षेप कारित नहीं करें। इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जावे। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर किसी प्रकार का दौराने वाद अतिक्रमण भी नहीं करे इस प्रतिबंधित फरमाया जावे।

अतः वादी की प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी में कोई अतिक्रमण कारित नहीं करे न ही वादी के द्वारा निर्माण कार्य दिवार के रूप में बनाने में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, शांतिभंग कारित करे। दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा कोई बाधा, हस्तक्षेप कारित करे तो उसे हटवाई जावें। अतिक्रमण करले तो हटवाया जा कर पूर्ववत स्थिति कायम फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी ने अपने वाद पत्र के समथ में गवाह पी0डब्ल्यू0–01 नारायण लाल का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02 के प्रस्तुत की गयी ।

वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादी गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपने वाद को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञप्ति स्वीकार किया जाकर ग्राम बामनियाकंला के आराजी नम्बर 1026 रकबा 00–10 बीघा का रेकार्ड में बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि वादी की आराजी में कोई अतिकमण कारित नहीं करे न ही वादी के द्वारा निर्माण कार्य दिवार के रूप में बनाने में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, शांतिभंग कारित करे। उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं ही करे तथा न ही उक्त कार्य अपने नौकर, चाकर एवं एजेण्ट मित्र, आदि से ही करावे। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 08/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुखराम डामोर)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :— मनसुख राम डामोर आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या :— 10 / 2020

अनवान

1. भंवरलाल पिता मोडीराम जाति कुमावत निवासी बामनिया कंला तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1 सोहनलाल पिता मांगु जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
2. डालू पिता मांगु जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
3. कैलाश पिता मांगु जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
4. गोपू पिता शंकर जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
5. नाना पिता शंकर जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा
6. कजोड पिता कालू जाति कुमावत निवासी बामनियाकंला तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

दावा :— अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वादी की ओर से :— श्री चावण्ड सिंह शक्तावत, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से :—

में इस आशय मे दिनांक 08/09/2020 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर ग्राम बामनियाकंला के आराजी नम्बर 1026 रकबा 00–10 बीघा का रेकार्ड में बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि वादी की आराजी में कोई अतिक्रमण कारित नहीं करे न ही वादी के द्वारा निर्माण कार्य दिवार के रूप में बनाने में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, शांतिभंग कारित करे। उक्त कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं ही करे तथा न ही उक्त कार्य अपने नौकर, चाकर एवं एजेण्ट मित्र, आदि से ही करावे।

आज दिनांक 08/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनसुखराम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा